आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–52/2023

30.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री रतनलाल स्वांसी एवं अन्य, पंचायत–गुड़जोरा, प्रखण्ड+जिला–खूँटी Video conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उन 52 शिकायतकर्ताओं में से 49 लोगों को जिस काल अवधि में कम राशन उपलब्ध कराया गया था, कम उपलब्ध कराये गये राशन में सवा गुना जोड़ कर अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण एवं उन 52 शिकायतकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन उठाव कर लिये जाने का प्रमाण भी उपलब्ध कराया है। आयोग की सुनवाई में ऑनलाइन उपस्थित श्री रतनलाल स्वांसी का कहना है कि ग्राम सभा द्वारा डीलर के ऊपर मंदिर और ट्रस्ट में दण्ड स्वरूप राशि जमा करने का निर्णय हुआ लेकिन डीलर्स उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

आयोग शिकायतकर्ता को यह बताना चाहता है कि आयोग ग्राम सभा द्वारा लिये गये किसी निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह ग्राम सभा का अपना विवेक और निर्णय है। आयोग सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत् सुनवाई कर सकता है और उसी परिधि में अपने निर्णय को सीमित रख सकता है। जहाँ तक रही बात शिकायतकर्ता द्वारा यह कहने का कि उन्हें नियम–कायदे से अवगत करा दिया जाए, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को यह निर्देश देता है कि विभाग का कंट्रोल ऑर्डर इस वाद के शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध करा दें। आयोग ऐसी शिकायतों पर गौर नहीं कर सकता, जो शिकायतें आयोग में दर्ज नहीं कराई गई हैं। आयोग में 52 शिकायतकर्ताओं के संदर्भ की शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन 52 शिकायतकर्ताओं के संदर्भ का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आयोग यह मान रहा है कि आदेश का अनुपालन कर लिया गया है। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।